भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4499
27 मार्च, 2025 को उत्तर देने के लिए

नये खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना

4499. श्री दीपक अधिकारी (देव):
श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश भर में जिला स्तर पर नए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो बिहार सहित राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बिहार के शेष जिलों में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है/उठाए जा रहे हैं;

(घ) बिहार में स्थापित किए जा रहे खाद्य प्रसंस्करण पार्कों के विकास में सरकार की क्या भूमिका है; और

(ङ) ऐसी इकाइयां स्थापित करने के लिए निजी उद्यमियों को क्या वित्तीय सहायता प्रदान की गई है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) से (ङ): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) स्वयं कोई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित नहीं करता है। परंतु, यह अपनी केंद्रीय क्षेत्र की प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) स्कीम, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) और केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के माध्यम से बिहार सहित पूरे देश में ऐसे उद्योगों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।ये योजनाएं क्षेत्र या राज्य विशिष्ट नहीं हैं, बल्कि मांग आधारित हैं और बिहार सहित पूरे देश में अभिरुचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से वित्तीय सहायता के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं ।

पीएमकेएसवाई के अंतर्गत 15वें वित्त आयोग चक्र के लिए 5520 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यमियों को ऋण से जुड़ी वित्तीय सहायता (पूंजी सब्सिडी) प्रदान की जाती है।

पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वर्ष 2025-26 तक की अवधि के लिए चालू है।

पीएलआईएसएफपीआई का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैंपियनों के निर्माण में सहायता करना तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों को समर्थन प्रदान करना है। यह योजना 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2021-22 से 2026-27 तक की अवधि के लिए लागू है ।

पीएमकेएसवाई के घटक मेगा फूड पार्क और कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों (एपीसी) के लिए अवसंरचना के निर्माण का उद्देश्य क्लस्टरों में ऐसे उद्योगों का निर्माण करना है। मंत्रालय द्वारा दिनांक 01.04.2021 से मेगा फूड पार्क योजना को बंद कर दिया गया है। एपीसी योजना के तहत, सामान्य क्षेत्र में पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से अनुदान सहायता और दुर्गम क्षेत्रों के साथ-साथ एससी/एसटी, एफपीओ, एसएचजी में परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत के 50% की दर से अनुदान सहायता प्रदान की जाती है जो पात्र उद्यमियों को के लिए अधिकतम 10 करोड़ रुपये प्रति परियोजना के अध्यधीन है।

बिहार सहित देश भर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की पीएमकेएसवाई और पीएमएफएमई योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए अनुमोदित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है ।

*****

अनुबंध

दिनांक 27.03.2025 को उत्तर हेतु "नए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4499 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

<u>क. शुरूआत से दिनांक 28.02.2025 तक देश में पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा</u>

क्र.सं.	राज्य	स्वीकृत परियोजनाएँ (संख्या में)	परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)	स्वीकृत सहायता अनुदान (करोड़ रुपये में)
1	अंडमान और निकोबार	2	5.36	3.17
2	आंध्र प्रदेश	77	3297.31	763.99
3	अरुणाचल प्रदेश	12	177.89	82.51
4	असम	107	1249.98	445.34
5	**बिहार**	**15**	**748.76**	**170.60**
6	चंडीगढ़	0	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ	9	259.33	79.47
8	दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	1	26.34	3.64
9	दिल्ली	21	31.15	10.90
10	गोवा	2	31.33	7.71
11	गुजरात	107	2634.63	658.52
12	हरियाणा	99	1539.86	411.16
13	हिमाचल प्रदेश	45	754.54	308.47
14	जम्मू और कश्मीर	40	386.92	194.32
15	झारखंड	2	3.10	0.94
16	कर्नाटक	96	1361.77	399.69
17	केरल	51	985.37	303.87
18	लद्दाख	0	0.00	0.00
19	लक्षद्वीप	0	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	52	1031.99	355.66
21	महाराष्ट्र	246	4800.02	1312.19
22	मणिपुर	8	117.29	59.19
23	मेघालय	10	117.08	71.92
24	मिजोरम	4	107.01	66.32
25	नागालैंड	6	131.34	78.90
26	उड़ीसा	28	748.72	206.85
27	पुदुचेरी	2	0.81	0.81
28	पंजाब	76	1566.31	427.07
29	राजस्थान	57	1124.20	325.37
30	सिक्किम	1	6.17	3.64
31	तमिलनाडु	145	1922.75	497.69
32	तेलंगाना	68	1849.12	404.44
33	त्रिपुरा	9	118.89	64.63
34	उत्तर प्रदेश	97	1953.17	476.24
35	उत्तराखंड	59	1057.54	476.05
36	पश्चिम बंगाल	54	934.44	249.90

ख. दिनांक 28.02.2025 तक देश में पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत स्वीकृत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सूक्ष्म उद्यमों की संख्या	स्वीकृत सब्सिडी (करोड़ रुपये में)
1	अंडमान और निकोबार	18	1.03
2	आंध्र प्रदेश	6246	96.08
3	अरुणाचल प्रदेश	74	4.05
4	असम	2706	37.49
5	**बिहार**	**21435**	**491.00**
6	चंडीगढ़	5	0.21
7	छत्तीसगढ	896	37.62
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	11	0.37
9	दिल्ली	286	6.63
10	गोवा	96	3.64
11	गुजरात	658	41.85
12	हरियाणा	1319	84.10
13	हिमाचल प्रदेश	1776	42.33
14	जम्मू और कश्मीर	1269	26.38
15	झारखंड	3273	64.19
16	कर्नाटक	6043	220.47
17	केरल	5976	151.05
18	लद्दाख	79	3.70
19	लक्षद्वीप	0	0
20	मध्य प्रदेश	8570	279.68
21	महाराष्ट्र	22167	629.89
22	मणिपुर	286	20.96
23	मेघालय	184	3.14
24	मिजोरम	39	1.54
25	नागालैंड	330	5.62
26	महाराष्ट्र	1957	54.35
27	पुदुचेरी	153	3.49
28	पंजाब	2606	226.64
29	राजस्थान	956	57.48
30	सिक्किम	61	1.59
31	महाराष्ट्र	14829	319.33
32	तेलंगाना	6737	91.00
33	त्रिपुरा	175	4.13
34	उत्तर प्रदेश	15586	564.08
35	उत्तराखंड	825	24.52
36	पश्चिम बंगाल	131	7.56

*****